न्यायालय–समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

1	2	3
5.4.13	Pre –emption Appeal No. –आर.एम. 3 / 12–13 शीतल यादव बनाम भीखारी यादव एवं अन्य **<u>आदेश</u>** यह अपील भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेतिया के द्वारा वाद संख्या 19 / 09.–10 में दिनांक 09.02.12 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया। 2. भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेतिया के द्वारा वाद संख्या 19 / 09–10 में भिखारी यादव बनाम शीतल यादव में भिखारी यादव के द्वारा विवादित जमीन के चौहदीरार तथा बिक्रेता के सह हिस्सेदार होने के आधार पर विवादित जमीन के क्रय के प्रथम अधिकार के दावा का विचारोपरान्त स्वीकृत करने हेतु आदेश पारित किया गया। विवादित जमीन अंचल योगापट्टी के ग्राम– दोनवार के खाता 109 खेसरा 318 रकवा 2 कट्ठा 10 धुरे जमीन है। 3. उक्त जमीन को शीतल यादव के द्वारा योगी यादव जो विपक्षी संख्या–2 है, से निबंधित केबाला के माध्यम से क्रय किया गया। 4. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। उनके द्वारा दायर कागजातों एवं अंचल अधिकारी के न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया एवं वाद संख्या 19 / 09–10 का अध्ययन किया गया। उपलब्ध सभी तथ्यों के सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट है :– i. प्रश्नगत जमीन के बिक्रेता योगी यादव एवं प्रियम्टर भिखारी यादव दोनों चचेरे भाई हैं। इसप्रकार स्पष्ट है कि दोनों सह हिस्सेदार है। ii. बिक्रेता योगी यादव के द्वारा क्रेता शीतल यादव को जमीन की बिक्री की गयी है, जमीन के उत्तर चौहदी में भिखारी यादव	

[signature]

चौहदीदार के रूप में दर्ज है। इसप्रकार भिखारी यादव प्रश्नगत विवादित जमीन के सह–हिस्सेदार एवं चौहदीदार है।

iii विवादित जमीन के क्रेता तथा वर्तमान अपीलकर्त्ता शीतल यादव भूमिहीन होने के दावा करतें है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के द्वारा अंचल अधिकारी योगापट्टी से जांच कराया गया है, जिसमें उनके भूमिहीन होने के दावा की पुष्टी नहीं हुआ।

इसप्रकार भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेतिया के वाद संख्या 19/09–10 में बिहार भू–हदबंदी अधिनियम की धारा– 16(3) के अंतर्गत पारित आदेश विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत होने के कारण कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। अतः शीतल यादव के द्वारा बिहार भू–हदबंदी की धारा– 21 के अंतर्गत प्राप्त रिभियू आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेतिया को लौटायें।

लेखापित एवं सत्यापित

समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।